राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	61/25 सुवालाल बनाम ज्ञाना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 125/25 रामू बनाम ज्ञाना	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अपील संख्या 61/2025 उनवानी सुवालाल बनाम ज्ञाना एवं अपील संख्या 125/2025 उनवानी रामू बनाम ज्ञाना पर इकजाई रूप से सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/11/2025 को पेश हो।	
07/11/25	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 15 खाते के सन्दर्भ में तकासमें का दावा पेश किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 23/08/2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। विवादग्रस्त भूमि पर जहाँ अपीलार्थी कब्जे काश्त में है वह भूमि अन्य को दे दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अन्य खसरा नम्बर समाहित कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये। कानूनन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री में जिन खातेदारों को पक्षकार ही नही बनाया गया है उन्हें भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाते हुए अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2022 पारित करते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को नोटिस/सूचना दिये बगैर एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर सरसरी तौर पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी। तहसीलदार द्वारा एक खसरा नम्बर पर स्थगन आदेश मानते हुये शेष खसरा नम्बर पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के अपीलार्थी के पक्ष में पारित अन्तरिम आदेश को निरस्त फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने दिनांक 01/10/2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 394, 451 एवं एक अन्य खसरा नम्बर को प्रार्थी ने क्रय कर लिया है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के क्रेता को पक्षकार बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03/07/2024 को पुन:कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के पक्षकारो को शामिल करते हुए तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुवालाल बनाम ज्ञाना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुए विवादग्रस्त भूमि के पांच खसरा नम्बर को छोड़ दिया गया। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 अन्य व्यक्ति के कब्जे काश्त में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बग़ैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवंक़ानूनी त्रुटी कारित की है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन व्यक्ति रामू, सुवा, छितर पुत्र श्री गुल्ला ने दावा पेश किया। विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में कुल 90-100 पक्षकार है। इस न्यायालय के समक्ष तीनो वादीगण/अपीलार्थी नही है केवल मात्र सुवा ही अपीलार्थी है एवं न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा सहमति जाहिर किये जाने के पश्चात ही दिनांक 23/08/2022 को प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। तहसीलदार द्वारा तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट में विवादग्रस्त भूमि के दो खसरा नम्बर है जिसमे से एक में माफ़ी मन्दिर एवं एक में स्थगन पारित होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25/05/2023 को संशोधित आदेश पारित किये गये, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो खसरा नम्बर को छोड़ते हुए डिक्री पारित की गयी है, जिसके विरुद्ध तीनो भाई माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रिविजन प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 19/12/2023 को रिविजन ख़ारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिस पर तहसीलदार द्वारा तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/09/2024 को प्राप्त हुये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु 11 तारीख पेशी नियत किये जाने के पश्चात भी दिनांक 29/11/2024 तक अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 की पालना हो गयी है एवं कुछ खातेदारों ने भूमि का बैचान भी कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावाकर्ता रामू ने दिनांक 20/12/2024 को भूमि का बैचान कमला पत्नी लाला को कर दिया एवं छीतर पुत्र गुल्ला ने दिनांक 08/01/2025 को भूमि का बैचान कर दिया एवं तीसरे भाई ने भी भूमि का बैचान कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुवालाल बनाम ज्ञाना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित डिक्री को तीनो भाईयो ने स्वीकार करते हुए हो भूमि का बैचान कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री डिंक 29/11/2024 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/01/2025 को अपील प्रस्तुत की गयी। | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गयी एवं दिनांक 27/09/2024 को कुर्रेजात प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा 15-16 पेशी तक कोई आपत्ति पेश नही की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार ही प्राथमिक डिक्री एवं तत्पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसमे कोई तथ्यात्मक त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एवं कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के माध्यम से सभी सहखातेदारान को अलग-अलग खाता व लगान प्रस्तावित नही किया गया है एवं सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिये बगैर ही तदनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में यह आवश्यक होता है कि सहखातेदारान के विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद के माध्यम से विचारण न्यायालय समस्त सहखातेदारों का विधिवत विभाजन करते हुये सभी सहखातेदारों का अलग-अलग खाता व लगान कायम करे किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार से समस्त सहखातेदारान का भिन्न-भिन्न विभाजन प्रस्तावित करते हुये विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना सुनिश्चित कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का बाद सुनवाई विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील संख्या 61/2025 उनवानी सुवालाल बनाम ज्ञाना एवं अपील संख्या 125/2025 उनवानी रामू बनाम ज्ञाना स्वीकार किये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर